

पत्रांक: न-3/एफ0एस0/ऑनलाईन/16/2019

दिनांक जून 07, 20

स्वामी/प्रबन्धक  
मै० महर्षि विद्या मन्दिर,  
मेलाघाट रोड खटीमा,  
ऊधम सिंह नगर।


विषय :- प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थनापत्र यूआईडी नं०-27611307 दिनांक 04-06-2019 के अनुसार मै० महर्षि वि-  
मन्दिर, मेलाघाट रोड खटीमा, ऊधम सिंह नगर की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निश-  
मन अधिकारी खटीमा द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी खटीमा की ऑनलाईन संस्तुति के अनुसार  
अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी। समस्त अग्निशमन य-  
कार्यशील दशा में हैं तथा समस्त उपकरणों की रिफिलिंग करवाकर निर्धारित टेस्टिंग फीस राजकोष में ज-  
करा दी गयी है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। इक-  
के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक वर्ष इ-  
कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराया जा-  
अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निर-  
समझा जाएगा।

अतः मै० महर्षि विद्या मन्दिर, मेलाघाट रोड खटीमा, ऊधम सिंह नगर के अग्निशमन सुर-  
संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 05 जून 2019 से 04 जून 2020 तक इस आधार पर प्रदान किया जा-  
है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाय :-

- 1 सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रर-  
जाय।
- 2 आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रि-  
(Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
- 3 सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरि-  
अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं ;  
सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
- 4 भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया  
निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
- 5 संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाव  
मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
- 6 अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण केवल ऑनलाईन माध्यम से किया जाय। अन्य कि-  
माध्यम से प्राप्त किया गया अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

  
एन० एस० कुंवर  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
ऊधम सिंह नगर